सत्र प्र. क्र. 188/2019
साक्षी क्र. 11 सालिकराम साहू
शासन वि. आकाश साल्वे वगै.
II-157
C.J.

Witness no. ......**11**..........for ....Prosecution......................Deposition taken

the.**19.06.2025**..day of................Witness's apparent age..........**57 वर्ष**

States on affirmation.......**शपथपूर्वक** ....My name is.......**सालिकराम साहू**

Son of.....**स्व. श्री घसिया राम साहू** ......occupation....... **उप निरीक्षक**

addres....... **पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला कबीरधाम छ.ग.**

प्रारंभ समय 12.10 बजे

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री बसंत गोंड़, अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन

1– मैं थाना टिकरापारा जिला रायपुर में मार्च 2019 से जनवरी 2022 तक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था।

2– थाना टिकरापारा के अपराध क्र. 364/2019 की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मैंने दिनांक 25.05.2019 को यूनियन बैंक के पास, देवपुरी में घटनास्थल पर जाकर उस घटना स्थल का नजरी नक्शा निर्मल रायकवार के बताये अनुसार बनाया था। वह नजरी नक्शा प्र.पी. 25 है जिसके ब से ब भाग का हस्ताक्षर मेरा है। इस नजरी नक्शा में घटना स्थल को ए स्थान से चिन्हांकित किया हूं तथा आसपास की स्थिति को बी से इ के रुप में चिन्हांकित किया हूं।

3– घटना स्थल पर से मैंने उसी दिनांक 25.05.2019 को गवाह निर्मल रायकवार तथा इंद्रजीत मन्ना के समक्ष करीब 50 ग्राम मात्रा में खून आलूदा मिट्टी तथा इतनी ही मात्रा में वहीं पर की सादी मिट्टी को जप्त कर उसे पृथक–पृथक प्लास्टिक डिब्बा में भरकर सीलबंद किया

Witness no. ......**11**.........for ....Prosecution......................Deposition taken

था। वह जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 है जिसके स से स भाग का हस्ताक्षर मेरा है एवं द से द भाग पर वह सील नमूना लगाया हूं।

4– दिनांक 25.05.2019 को ही मैंने अभियुक्त रामखिलावन नेताम को अभिरक्षा में लेकर गवाह निर्मल रायकवार और इंद्रजीत मन्ना के समक्ष पूछताछ करते हुए उसके बताये अनुसार उसका मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किया था जो कि प्र.पी. 11 है जिसके स से स भाग का हस्ताक्षर मेरा है। इस अभियुक्त ने यह जानकारी दिया था कि उसने विनोद देवांगन के पेट में चाकू मारकर चोट पहुंचाया है और उस चाकू को उसने टाटा योद्धा वाहन क्र. सी.जी. 04 एन.एल. 3126 के डाला में रख दिया है, जिसे चलकर बरामद करा देता हूं बोला था। अभियुक्त रामखिलावन यह पूछताछ मैंने गोंडवाना भवन टिकरापारा में किया था।

5– दिनांक 25.05.2019 को ही मैंने अभियुक्त आकाश साल्वे उर्फ अक्कू को अभिरक्षा में लेकर उन्हीं दोनों गवाह के समक्ष पूछताछ करते हुए उसके बताये अनुसार उसका मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किया था जो कि प्र.पी. 12 है जिसके स से स भाग का हस्ताक्षर मेरा है। इस अभियुक्त ने यह जानकारी दिया था कि उसने भी विनोद देवांगन के पेट में चाकू से हमला कर चोट पहुंचाया था और उस चाकू को उसने टाटा योद्धा वाहन क्र. सी.जी. 04 एन.एल. 3126 के डैशबोर्ड में रखा है तथा उस वाहन को उसने कमल विहार गेट के पास खड़ी करके छोड़ दिया है, जिसे चलकर बरामद करा देता हूं बोला था। अभियुक्त आकाश साल्वे उर्फ अक्कू से यह पूछताछ मैंने गोंडवाना भवन टिकरापारा में किया था।

6– दोनों अभियुक्त रामखिलावन तथा आकाश साल्वे उर्फ अक्कू का मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किये जाने के बाद उन्हें तथा दोनों गवाहों को लेकर उस स्थल पर गया था जहां पर इन दोनों अभियुक्त ने घटना में इस्तेमाल किया हुआ हथियार को छिपाने की बात बतायी थी। अभियुक्त

Witness no. ......11.........for ....Prosecution......................Deposition taken

रामखिलावन नेताम ने कमल विहार गेट के पास ले जाकर उस टाटा वाहन योद्धा क्र. सी.जी. 04 एन.एल. 3126 में डाला में जो चाकू रखा था, उसे निकालकर दोनों गवाहों के समक्ष मेरे सामने पेश किया, तब मैंने उस चाकू की जप्ती अभियुक्त रामखिलावन से उन दोनों गवाहों के समक्ष करते हुए इस बारे में संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 16 तैयार किया था जिसके स से स भाग का हस्ताक्षर मेरा है। वह चाकू धारदार स्टील का चाकू था जिसमें हल्का कत्था रंग का प्लास्टिक का ग्रिप लगा था। उस चाकू की लंबाई करीब 7 इंच, धारदार स्टील की लंबाई करीब 3.5 इंच, बीच की चौड़ाई करीब 2 से.मी., प्लास्टिक की ग्रिप की लंबाई करीब 3.5 इंच। उस चाकू के धारदार स्टील में खून जैसे दाग लगे थे। प्लास्टिक के ग्रिप में अंग्रेजी में MAJOR लिखा था। मैंने उस चाकू की जप्ती कर उसे सीलबंद किया था। सीलबंद किये जाने का नमूना उस जप्ती पत्रक में द से द भाग पर है ।

7− अभियुक्त आकाश साल्वे उर्फ अक्कू से मैंने कमल विहार गेट के पास खड़े उस टाटा वाहन योद्धा क्र. सी.जी. 04 एम.एल. 3126 को जप्त किया था एवं इस अभियुक्त ने उस वाहन में जहां पर चाकू को छिपाकर रखा था, उसे निकालकर उन्हीं दोनों गवाहों के समक्ष मेरे सामने पेश किया, तब मैंने उस चाकू की जप्ती अभियुक्त आकाश साल्वे उर्फ अक्कू से करते हुए इस बारे में संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 15 तैयार किया था जिसके स से स भाग का हस्ताक्षर मेरा है। वह चाकू धारदार नोकदार स्टील का चाकू था जिसमें पीले रंग का प्लास्टिक का ग्रिप लगा था। उस चाकू की लंबाई करीब 8 इंच, धारदार नोकदार स्टील की लंबाई करीब 4 इंच, प्लास्टिक की ग्रिप की लंबाई करीब 4 इंच। उस चाकू के फल की लंबाई करीब 2 से.मी. था । उस चाकू के धारदार स्टील में खून जैसे दाग लगे थे। मैंने उस चाकू की जप्ती कर उसे सीलबंद किया था। सीलबंद किये जाने का नमूना उस जप्ती पत्रक में द से द भाग पर है।

Witness no. ......11..........for ....Prosecution......................Deposition taken

8– दिनांक 25.05.2019 को ही अभियुक्त रामखिलावन ने अपना पहना हुआ एक सफेद रंग का टी शर्ट हाफ अस्तीन वाला जिसमें नीचे भाग पर खून जैसा दाग दिखाई दे रहा था, को निकालकर थाना टिकरापारा में मेरे समक्ष गवाह निर्मल रायकवार और इंद्रजीत मन्ना के समक्ष पेश किया था और यह बताया था कि घटना समय उसने उस टी शर्ट को पहना हुआ था। मैंने उस टी शर्ट को जप्त कर सीलबंद किया था एवं इस बारे में संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 17 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर वह सील नमूना लगा हुआ था।

9– दिनांक 25.05.2019 को ही अभियुक्त आकाश साल्वे उर्फ अक्कू ने अपना पहना हुआ एक सफेद रंग का टी शर्ट हाफ अस्तीन वाला जिसमें सामने भाग पर नीचे भाग पर खून जैसा दाग दिखाई दे रहा था, को उसके बदन से उतरवाकर मैंने उसे उन्हीं दोनों गवाहों के समक्ष इस अभियुक्त से जप्त किया था। वह टी शर्ट सफेद–काली लाईन वाला था। मैंने उस टी शर्ट को जप्त कर सीलबंद किया था एवं इस बारे में संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 18 तैयार किया था, जिसके स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर वह सील नमूना लगा हुआ था।

10– दिनांक 25.05.2019 को थाना टिकरापारा में निर्मल रायकवार ने एक हल्का गुलाबी रंग का फुल अस्तीन कमीज, जिसमें कई जगह खून जैसा दाग दिखायी दे रहा था को गवाह इंद्रजीत के समक्ष पेश किया था। उस कमीज के बारे में निर्मल रायकवार ने बताया था कि घटना के समय आहत विनोद देवांगन उस टी शर्ट को पहना हुआ था। तब मैंने उस टी शर्ट को जप्त करके जप्ती पत्रक प्र.पी. 14 तैयार किया था और उसे सीलबंद किया था। इस जप्ती पत्रक के स से स भाग पर मेरा हस्ताक्षर है तथा द से द भाग पर वह सील नमूना है।

Witness no. ......**11**.........for ....Prosecution......................Deposition taken

11− दिनांक 25.05.2019 को मैंने आहत विनोद देवांगन का मुलाहिजा कराये जाने हेतु तहरीर लिखा था जो कि इस आहत के मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी. 06 के सामने भाग पर है एवं जिसके अ से अ भाग का हस्ताक्षर मेरा है। उसी दिनांक को मैंने गवाह निर्मल रायकवार, इंद्रजीत मान्ना का कथन उनके बताये अनुसार लिखा था।

12− दिनांक 25.05.2019 को मैंने गवाह निर्मल रायकवार तथा इंद्रजीत के समक्ष अभियुक्त विरेंद्र कुमार बिसेन, आकाश साल्वे, रामखिलावन नेताम एवं नागेश्वर ध्रुव को गिरफ्तार किया था तथा इस बारे में गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्र.पी. 19, प्र.पी.20, प्र.पी. 21 एवं प्र.पी. 22 तैयार किया था, जिन पर स से स भाग का हस्ताक्षर मेरा है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की सूचना मैंने उनके परिवारजन को दिया था जो कि क्रमशः **प्र.पी. 26, प्र.पी. 27, प्र.पी. 28** एवं **प्र.पी. 29** है। इन सभी के अ से अ भाग का हस्ताक्षर मेरा है।

13− दिनांक 28.05.2019 को मैंने आहत विनोद देवांगन, डोमन कोरी, दीपिका देवांगन एवं डेविड देवांगन का कथन तथा दिनांक 30.05.2019 को धनेंद्र गिरी एवं दिनांक 12.08.2019 को सहायक उप निरीक्षक अनवर अली का कथन उनके बताये अनुसार लिखा था।

14− दिनांक 30.05.2019 को मैंने धनेंद्र गिरी से टाटा योद्धा वाहन क्रमांक सी.जी. 04 एम.एल. 3126 के आरसी बुक की छायाप्रति को तथा उसके ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति को गवाह अरूण यादव के समक्ष जप्त करते हुए उसे सीलबंद किया था। वह जप्ती पत्रक **प्र.पी. 30** है जिसके अ से अ भाग का हस्ताक्षर मेरा है एवं ब से ब भाग पर सील नमूना है।

15− दिनांक 10.06.2019 को मैंने तहसीलदार रायपुर को पत्र प्र.पी. 08 लिखते हुए घटना स्थल का नक्शा पटवारी से तैयार कराकर प्रदान किये जाने के लिए निवेदन किया था, तब पटवारी द्वारा घटना स्थल का तैयार किया गया नक्शा प्र.पी. 03 मुझे प्राप्त हुआ था।

16– अभियुक्त रामखिलावन नेताम से जो चाकू एवं टी शर्ट जप्ती किया था, उसका मुलाहिजा कर रिपोर्ट देने के लिए वी.वाय. अस्पताल कमल विहार रायपुर के प्रभारी चिकित्सक को दिनांक 12.07.2019 आवेदन लिखा था जो कि प्र.पी. 07 है जिसके ब से ब भाग का हस्ताक्षर मेरा है।

17– पीडित विनोद देवांगन का जो कमीज जप्ती किया था, उसका मुलाहिजा कर रिपोर्ट देने के लिए वी.वाय. अस्पताल कमल विहार रायपुर के प्रभारी चिकित्सक को दिनांक 12.07.2019 आवेदन लिखा था जो कि प्र.पी. 08 है जिसके ब से ब भाग का हस्ताक्षर मेरा है।

18– अभियुक्त आकाश साल्वे उर्फ अक्कू से जो चाकू एवं टी शर्ट जप्ती किया था, उसका मुलाहिजा कर रिपोर्ट देने के लिए वी.वाय. अस्पताल कमल विहार रायपुर के प्रभारी चिकित्सक को दिनांक 12.07.2019 आवेदन लिखा था जो कि प्र.पी. 10 है जिसके ब से ब भाग का हस्ताक्षर मेरा है।

19– मैंने अन्वेषण के दौरान जो चाकू जप्त किये थे, उसका क्वेरी कर रिपोर्ट दिये जाने हेतु वी.वाय. अस्पताल कमल विहार रायपुर के प्रभारी चिकित्सक को दिनांक 12.07.2019 आवेदन लिखा था जो कि प्र.पी. 08 एवं प्र.पी. 09 है जिनके ब से ब भाग का हस्ताक्षर मेरा है। इस आवेदन के जरिये मैंने पूछा था कि क्या पीडित को आयी चोटें किन जप्त चाकुओं से आ सकती है।

20– इस मामले में जप्त संपत्तियों का रासायनिक परीक्षण कराये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ड्राफ्ट तैयार कराकर एफ.एस.एल. रायपुर भिजवाया गया था, वह ड्राफ्ट **प्र.पी. 31**

Witness no. ......**11**.........for ....Prosecution......................Deposition taken

है। जो संपत्ति एफ.एस.एल. भिजवायी गयी थी, उसकी वहां से प्राप्ति रसीद दी गयी थी जो कि **प्र.पी. 32** है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिनेश कुमार मनहरे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त आकाश साल्वे

21– यह कहना सही है कि मुझे केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने के पश्चात् मैंने प्रकरण का अवलोकन किया था। यह कहना सही है कि मैंने विवेचना के दौरान संपूर्ण तथ्य के आधार पर प्रकरण बनाया था। यह कहना सही है कि मैंने किसी आरोपी को पूछताछ हेतु कोई नोटिस नहीं दिया था। यह कहना सही है कि मैंने आरोपीगण को टावर लोकेशन, सी.सी.टी.वी. के फुटेज के आधार पर, वहां उपलब्ध नहीं था फिर भी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया था। यह कहना सही है कि मैंने टावर लोकेशन से संबंधित दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं किया है।

22– यह कहना सही है कि फुटेज के आधार पर आरोपीगण की पहचान कार्यवाही नहीं करायी गयी थी। यह कहना सही है कि फुटेज के आधार पर मिलान की कार्यवाही भी मेरे द्वारा नहीं किया गया है। मैंने अभियुक्त आकाश साल्वे और रामखिलावन नेताम का मेमोरेंडम कथन लिया, उसमें करीब 20 मिनट का अंतर रहा होगा।

23– यह कहना सही है कि अभियुक्त आकाश साल्वे और रामखिलावन, थाना टिकरापारा में कैसे आये या किसके माध्यम से बुलाये थे या कितने बजे वे थाना आये थे, इस बारे में कोई दस्तावेज अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं है। स्वतः कहता है कि इन दोनों अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़कर थाना लाये थे।

24– प्रकरण में संलग्न जप्ती पत्रक प्र.पी. 18 के अनुसार आकाश साल्वे का कपड़ा जप्ती होना बता रहा हूं वह 18.40 बजे की है। साक्षी से विलंब का कारण पूछे जाने पर साक्षी कहता है कि

Witness no. ......**11**..........for ....Prosecution......................Deposition taken
आरोपी के द्वारा पेश किये जाने पर मेरे द्वारा जप्त किया गया है। स्वतः कहा कि आरोपियों से अन्य कार्यवाही के पश्चात् हिरासत में लेकर थाना आने के पश्चात् मैंने आरोपी से कपड़ा जप्त किया था।

25– थाना टिकरापारा से घटना स्थल की दूरी करीब 4 कि.मी. होगा। घटना स्थल से, चाकू जप्त किया जाना बताये गये स्थल की दूरी करीब 2 कि.मी. होगी। घटना स्थल से मेमोरेंडम कथन लिये जाने के स्थल के बीच की दूरी करीब 4 कि.मी. होगी। स्वतः कहता है कि मेमोरेंडम कथन लिये जाने का स्थल थाना टिकरापारा के पास ही है।

26– मैंने घटना स्थल जाने, वापस आने आदि के बारे में रोजनामचा सान्हा में दर्ज कराया था। यह कहना सही है कि उस रोजनामचा सान्हा की कोई प्रति अभियोग पत्र के साथ पेश नहीं की गयी है। मैं मेमोरेंडम कथन के साक्षी इंद्रजीत और निर्मल रायकवार को पहले से नहीं जानता था। यह कहना सही है कि उक्त दोनों साक्षियों को प्रकरण से संबंधित कोई नोटिस नहीं दिया था। मुझे नहीं मालूम कि यह दोनों गवाह आहत विनोद देवांगन के रिश्तेदार हैं या नहीं।

27– गवाह इंद्रजीत और निर्मल रायकवार दिनांक 25.05.2019 को सुबह करीब 10.30 बजे थाना टिकरापारा आये थे। यह कहना गलत है कि मैं मेमोरेंडम कथन प्र.पी. 11 एवं प्र.पी. 12 लेखबद्ध नहीं किया था। यह कहना सही है कि मैंने किसी भी आरोपी या साक्षी का कथन देने से पहले उन्हें लालच या भय नहीं दिया था तथा सामान्य रुप से उनसे पूछताछ किया था। यह कहना गलत है कि आरोपी आकाश साल्वे ने मुझे कोई भी मेमोरेंडम कथन नहीं दिया था।

28– यह कहना गलत है कि मैंने जिन गवाहों का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया जाना बताया है, उनका कथन अपने मन से ही लिख लिया था। यह कहना गलत है कि मैंने कमल विहार, रायपुर के पास अभियुक्त आकाश से कोई भी संपत्ति जप्त नहीं किया था। यह

Witness no. ......11..........for ....Prosecution......................Deposition taken

कहना गलत है कि मैं अभियुक्त आकाश को फंसाने के लिए झूठा साक्ष्य संकलित किया हूं। यह कहना सही है कि जिस तरह का चाकू जप्त करना बताया हूं, उस तरह का चाकू बाजार में सामान्यतः मिल जाता है।

टीपः—चायकाल होने से साक्षी का शेष प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया।

समय 14.03 बजे तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

MANOJ KUMAR SINGH THAKUR Digitally signed by MANOJ KUMAR SINGH THAKUR

(मनोज कुमार सिंह ठाकुर)
विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई.
रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित ।

MANOJ KUMAR SINGH THAKUR Digitally signed by MANOJ KUMAR SINGH THAKUR

(मनोज कुमार सिंह ठाकुर)
विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई.
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर........................

टीपः—चायकाल पश्चात् साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर उसका शेष प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

समय 15.17 बजे

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती लक्ष्मी सैनी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रामखिलावन

29— यह कहना सही है कि मेमोरेंडम कथन प्र.पी. 11 में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि चाकू को कमल विहार के "गेट" के पास छिपाकर रखा हूं। यह कहना गलत है कि साक्षी इंद्रजीत व निर्मल रायकवार के समक्ष अभियुक्त रामखिलावन ने कोई भी मेमोरेंडम कथन नहीं दिया था । यह कहना गलत है कि मेमोरेंडम कथन प्र.पी. 11 को अपने मन से ही लिख लिया हूं। यह कहना गलत है कि अभियुक्त रामखिलावन से कोई भी चाकू या कपड़ा की जप्ती मैंने नहीं किया था । यह कहना गलत है कि जप्ती पत्रक प्र.पी. 16 एवं प्र.पी. 17 को झूठा तैयार किया हूं।

Witness no. ......11..........for ....Prosecution......................Deposition taken

30- यह कहना सही है कि प्र.पी. 16 एवं प्र.पी. 17 के जप्ती पत्रक में जिस तरह के चाकू और टी शर्ट का उल्लेख है, उस तरह का चाकू और टी शर्ट बाजार में मिल जाता है। यह कहना सही है कि जप्त किया जाना बताये गये चाकू में किसका फिंगर प्रिंट था, इसके बारे में कोई परीक्षण नहीं कराया था। यह कहना सही है कि साक्षियों का कथन दर्ज करने के लिए मैंने उन्हें लिखित में कोई नोटिस नहीं दिया था।

31- यह कहना गलत है कि मैंने गवाह इंद्रजीत व निर्मल रायकवार के समक्ष जो भी कार्यवाही कर उस बारे में दस्तावेज तैयार करने के बारे में बताया हूं, उन सभी दस्तावेजों में मैंने उनका हस्ताक्षर उनके सामने बिना कोई कार्यवाही किये करा लिया था। यह कहना गलत है कि इन दोनों गवाह का हस्ताक्षर मैंने सभी दस्तावेजों में एकसाथ थाने में ही कराया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्त रामखिलावन को फंसाने के लिए उसके खिलाफ झूठा मामला तैयार किया हूं। यह कहना गलत है कि गवाहों के बयान मैं अपने मन से ही थाने में बैठकर लिख लिया था।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री यू.के. पाण्डेय अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त विरेंद्र

32- यह कहना गलत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में लेखबद्ध करने के 12 घंटे बाद मैंने नजरी नक्शा प्र.पी. 25 को बनाया था। शिकायतकर्ता द्वारा बताये गये घटना समय से 12 घंटे के भीतर मैंने इस नजरी नक्शा को तैयार किया था। यह कहना गलत है कि नजरी नक्शा प्र.पी. 25 को जिस समय तैयार करना बताया हूं उस समय गवाह निर्मल रायकवार मेकाहारा अस्पताल रायपुर में था। यह कहना सही है कि गवाह निर्मल रायकवार थाना से मेरे साथ घटना स्थल पर गया था। गवाह निर्मल रायकवार सुबह 10.30 बजे थाना टिकरापारा पहुंचा था।

सत्र प्र. क्र. 188/2019
साक्षी क्र. 11 सालिकराम साहू
शासन वि. आकाश साल्वे वगै.
II-157
C.J.

Witness no. ......**11**..........for ....Prosecution......................Deposition taken

33– यह कहना सही है कि मेमोरेंडम कथन प्र.पी. 11 एवं प्र.पी. 12 में घटना कारित करने वालों में रामखिलावन व आकाश के अलावा उनके साथ अन्य कोई व्यक्ति रहे हों, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि अभियुक्त विरेंद्र की गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 19 में कॉलम 8 में उसके गिरफ्तारी का स्थान टिकरापारा लिखा है लेकिन टिकरापारा के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया यह नहीं लिखा है । स्वतः कहा कि थाना टिकरापारा में गिरफ्तार किया था। इस अभियुक्त को हम लोग पकड़कर थाना टिकरापारा लाये थे और गिरफ्तार किये थे।

34– यह कहना सही है कि अभियुक्त विरेंद्र को किस स्थान से पकड़कर लाये इसका उल्लेख गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 19 में नहीं है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री वी.के. सैनी एल.ए.डी.सी. एस. वास्ते अभियुक्त नागेश्वर ध्रुव

35– यह कहना सही है कि अभियुक्त नागेश्वर को गिरफ्तार करने के पूर्व उसे धारा 41 द.प्र.सं. के तहत् कोई नोटिस नहीं दिया था। यह कहना सही है कि अभियुक्त नागेश्वर का मैंने कोई मेमोरेंडम कथन नहीं लिया है एवं इस अभियुक्त से कोई संपत्ति भी जप्त नहीं किया गया है।

समय 15.43 बजे तक

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

MANOJ KUMAR SINGH THAKUR Digitally signed by MANOJ KUMAR SINGH THAKUR

(मनोज कुमार सिंह ठाकुर)
विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई.
रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित ।

MANOJ KUMAR SINGH THAKUR Digitally signed by MANOJ KUMAR SINGH THAKUR

(मनोज कुमार सिंह ठाकुर)
विशेष न्यायाधीश सी.बी.आई.
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर.........................